वाइट कॉलर टेररिस्ट का अल-फलाह से सीधा कनेक्शन!

दिल्ली धमाके के बाद अब जांच एजेंसियों के हाथ लगा बड़ा सुराग

नईदिल्ली, 12 नवंबर. हरियाणा में फरीदाबाद जिले के मुस्लिम बहुल धौज गांव में अल-फलाह विश्वविद्यालय और उसका 76 एकड़ में फैला परिसर ''सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल'' और दिल्ली के लाल किले के पास हुए उच्च तीव्रता वाले विस्फोट के सिलसिले में तीन चिकित्सकों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में बाद अब घेरे में आ गया है.

विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार, इसकी स्थापना हरियाणा विधानसभा द्वारा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत की गई थी. इसकी शुरुआत 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी. 2013 में अल-फलाह

परवेज

शाहीन

इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से 'ए' श्रेणी की मान्यता प्राप्त हुई. 2014 में हरियाणा सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया. अल-फलाह मेडिकल कॉलेज भी इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है. इस विश्वविद्यालय में 650 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी है, जहां चिकित्सक मुफ्त में मरीजों का उपचार करते हैं. विश्वविद्यालय से जुड़े तीन चिकित्सकों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी हैं. उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल्ला कासिमी एम ए और सचिव मोहम्मद वाजिद डीएमई हैं. वहीं अल-फलाह विश्वविद्यालय के वर्तमान रजिस्ट्रार प्रोफेसर (डॉ.) मोहम्मद परवेज हैं. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद इसके कुलपति हैं. उसके भाई का लिकं सामने आ रहा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की संयुक्त पूछताछ में शाहीन ने माना कि संगठन के कश्मीर और फरीदाबाद नेटवर्क के बीच गुप्त तरीके से विस्फोटक सामग्री, डिटोनेटर और टाइम डिवाइस की सप्लाई की जा रही थी.

शाहीन के पिता ने कहा- डेढ़ साल से नहीं मिला बेटी से

फरीदाबाद की डॉ. शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद अब उनके परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है. शाहीन के पिता ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से उनकी बेटी से मुलाकात नहीं हुई थी, हालांकि एक महीने पहले दोनों के बीच फोन पर बात जरूर हुई थी. उन्होंने बताया कि सोमवार को, जिस दिन दिल्ली के लालकिले के पास विस्फोट हुआ, उस दिन शाहीन या उसके भाई परवेज अंसारी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी. शाहीन के पिता ने कहा, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने अपनी पढ़ाई और जिंदगी मेहनत से बनाई है. मुझे उस पर कोई शक नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि परिवार का बड़ा बेटा उनके साथ रहता है और वे चाहते हैं कि एजेंसियां सच्चाई सामने लाएं. इस बीच एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अपने हाथ में ले ली है और फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है. बता दें दिल्ली के लालकिले के पास सोमवार शाम हुए भीषण धमाके के बाद अब जांच एजेंसियों के हाथ बड़ा सुराग लगा है. जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर डॉ. शाहीन शाहिद ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है कि वह और उसके साथी पिछले दो साल से विस्फोटक जमा कर रहे थे और भारत में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे.

कैरेबियन सागर में अमेरिकी विमान की तैनाती से बढ़ा तनाव

वाशिंगटन, 12 नवंबर. दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत, यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड, कैरिबियन सागर में पहुंच गया है.

अमेरिकी नौसेना ने यह जानकारी दी है. इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि ट्रंप प्रशासन मादक पदार्थ-आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को निशाना बना रहा है. गेराल्ड आर. फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के साथ कैरिबियन में अमेरिकी सेना की संख्या बढ़कर अब 15,000 से अधिक हो गई है जो इस क्षेत्र में दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है. पेंटागन के

प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा, ये सुरक्षा बल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को कम करने तथा उन्हें खत्म करने के लिए मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाएंगे. यह प्रथम श्रेणी का वाहक अपने अभियानों में सहायता के लिए दिन-रात एक साथ स्थिर-पंख वाले विमानों को उड़ान भरने और उतरने में मददगार है.

दवा फैक्ट्री में बॉयलर फटा, दो जिंदा जले, 20 लोग घायल

भरूच, 12 नवंबर. गुजरात के भरूच में एक दवा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है. सायखा स्थित गुजरात औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में दवा फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद भीषण आग लग गई.

इस हादसे में दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया है. हादसा मंगलवार रात करीब ढाई बजे हुआ, जब फैक्ट्री के अंदर चल रहे बॉयलर में अचानक जोरदार धमाका हुआ. विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी इमारत क्षणभर में धराशायी हो गई और फैक्ट्री के अधिकांश हिस्से में आग फैल गई. धमाके की आवाज

आसपास के इलाकों तक सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. अधिकतर कर्मचारी विस्फोट के तुरंत बाद बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन दो मजदूर अंदर फंस गए और जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई.

बिहार में नीतीश ही बनेंगे सीएम : केशव मौर्य

एनडीए को मिलेगा पूर्ण बहुमत

लखनऊ, 12 नवंबर. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बिहार के सहप्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को बड़ा बयान दिया.

उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को पूर्ण बहुमत मिलेगा और बिहार के तेजस्वी और ऊर्जावान नेता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने 'यूनीवार्ता' से विशेष बातचीत के दौरान बिहार को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.उन्होंने कहा कि राजग 2020 से भी बड़ी जीत इस चुनाव में दर्ज करने जा रही है.

बिहार की जनता ने उन लोगों को नकारने का काम किया है, जिन्होंने लगातार जनता को गुमराह किया है. बिहार में तेजस्वी यादव की दाल नहीं गलने वाली है. जब चुनाव में जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है, तब वो अपनी भड़ास चुनाव आयोग पर निकालने का काम कर रहे हैं.

बिहार चुनाव समाप्त हो गया है. अब नतीजों का इंतजार है. 14 नवंबर को बिहार में मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे. बिहार में आयोग ने दो चरणों में चुनाव सम्पन्न कराया. बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और दोनों चरणों में काफी संख्या में मतदाताओं ने अपने घरों से निकल कर मतदान किया था. इस तरह के बयानों के माध्यम से आयोग के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है.

म्यांमार से असम ले जाई जा रही 1 .3 किलो हेरोइन जब्त

चुराचांदपुर/मणिपुर, 12 नवंबर. मणिपुर के संवेदनशील चुराचांदपुर जिले में असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.3 किलो हेरोइन जब्त की है.

यह कार्रवाई रविवार रात को गुप्त सूचना के आधार पर की गई. पुलिस का कहना है कि मामले में तस्कर से पूछताछ के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान वाहन से 108 साबुन के डिब्बों में छिपाकर रखी गई हेरोइन बरामद हुई. यह मादक पदार्थ म्यांमार से तस्करी कर मणिपुर के रास्ते असम के सिलचर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान लेटमिनथांग (29 वर्ष) के रूप में हुई है. वह मणिपुर का निवासी है.

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम जारी

नई दिल्ली, 12 नवंबर. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षापरिणाम जारी कर दिया है, जो उम्मीदवार सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे
(भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान)
डॉ. होमी भाभा मार्ग, पुणे - 411 008 | वेबसाइट: www.iiserpune.ac.in
IISER PUNE

डेटा विज्ञान विभाग में अनुसंधान कार्यक्रम के लिए प्रवेश – जनवरी 2026

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे जनवरी 2026 सत्र के लिए पीएचडी **डेटा विज्ञान** पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया का विवरण
https://www.iiserpune.ac.in/education/admissions
पर उपलब्ध है।

स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में कटौती

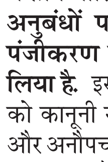

लखनऊ, 12 नवंबर. उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारों और मकान मालिकों को बड़ी राहत देते हुए किराया अनुबंधों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है. इस कदम का उद्देश्य किराये के समझौतों को कानूनी रूप से पंजीकृत कराने को बढ़ावा देना और अनौपचारिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न विवादों को कम करना है. सरकार इसके साथ ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से किरायेदार और मकान मालिक आधार सत्यापन के जरिए डिजिटल रूप से किराया अनुबंध तैयार और हस्ताक्षर कर सकेंगे. इससे उप-पंजीयक कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. वर्तमान में एक वर्ष की अवधि व सालाना किराया दो लाख रु तक वाले अनुबंध पर चार प्रतिशत यानी लगभग 8,000 रु की स्टांप ड्यूटी लगती है. प्रस्ताव के अनुसार, अब यह घटकर सिर्फ 500 रुपये रह जाएगी. धिकारियों के मुताबिक, यह सुधार राज्य के किराया बाजार को औपचारिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम है.

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
(एक नवरत्न कंपनी)
सीआईएन संख्या: U40106DL2011GOI225263

अधिसूचना संख्या 06/2025
वरिष्ठ सलाहकार की भर्ती

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) – नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अनुसूची 'ए नवरत्न सीपीएसई' सेकी वरिष्ठ सलाहकार (व्यवसाय विकास) के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	पद	पदों की संख्या	वेतन (प्रति माह)
1	वरिष्ठ सलाहकार (व्यवसाय विकास)	10*	₹1,25,000

***10 पद – प्रत्येक राज्य के लिए 1 पद – गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।**
अधिक विस्तृत सूचना के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.seci.co.in** के **'करियर' अनुभाग पर जाएँ।**
ऑनलाइन पंजीकरण 30.09.2025 (सुबह 11:00 बजे) को खुलेगा और 28.11.2025 (शाम 5:00 बजे) को बंद हो जाएगा।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक / 1068 / लो. नि. शा. / 2025 — रतलाम, दिनांक 11/11/2025

:: ई - निविदा आमंत्रण ::

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारो से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑनलाईन वेबसाईड https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है:-

1	462073	जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर चेन लिंक फेसिंग कार्य एस्टीमेट अनुसार। (प्रथम आमंत्रण)	1- 05 माह 2- 5542850/-	2- 10000/- 2- 55430/-	11/12/2025 15:30

नोट :- निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेब साईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, रतलाम

इन्दौर विकास प्राधिकरण
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY
जहाँ निरन्तर विकास ही लक्ष्य है
7, रेसकास रोड, इन्दौर – 452003 - 7, Race Course Road, Indore - 452003
0731-2434541, Fax no. 0731 - 2430553, Email : idaindore7@yahoo.in, Website: www.idaindore.org

निविदा विज्ञप्ति कमांक 280 / इ.टी. / 2025-26 — दिनांक 12.11.2025

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की यह संक्षिप्त निविदा सूचना है, विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता हैं। निविदा प्रपत्र आनलाईन निर्धारित शुल्क भुगतान कर क्रय किये जा सकते हैं।

अ. क्र.	पोर्टल टेण्डर क्रमांक व दिनांक	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (रुपये)	अर्नेस्ट मनी (रूपये में)	ऑन लाईन निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक (सांय 6.00 तक)
1	2025_DTCP_459482_1 29-10-2025	SUPPLY INSTALLATION TESTING AND COMMISSIONING OF COMMUNICATION SYSTEM INCLUDING 03 YEARS MAINTENANCE AT IDA BUILDING.	23,53,225/-	47,065/-	17-11-2025

नोटः - निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को केवल वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (विद्युत)
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) की सेक्शन 13 (2) के तहत जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के सहपठित है. उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (12) के तहत प्रदान अधिकारों के पालन में आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्रा. अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की है व देनदारों को उन्हें जारी डिमांड नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा है. उक्त से संबंधित, देनदारों को एक बार फिर इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिनों में भुगतान तिथि तक डिमांड नोटिस तिथि से आगे ब्याज सहित निम्न कथित राशि का भुगतान करने की नोटिस दी जाती है. देनदारों के वितरण डिमांड नोटिस तिथि पर बकाया राशि व लोन राशि के भुगतान के प्रति प्रस्तुत सिक्योरिटी के विवरण निम्न हैं-

देनदारों/गारंटरों का नाम	डिमांड नोटिस तिथि व राशि	सिक्योर्ड एसेट विवरण (अचल संपत्ति)
श्री सन्तोष टैगोर, श्रीमती प्रिया शर्मा, मानसी सिलाई सेंटर (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10127512)	4 नवम्बर 2025, रु. 1084407/- (रु. दस लाख चौरासी हजार चार सौ सात मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और हिस्सा जो इस प्रकार है- प्लॉट नंबर BE 20, सेक्टर B, -आदिनाथ रेजिडेंसी, लैंड सर्वे नंबर 62, 74/1/1, 89/1, 88min 2, 88 Min, 159, 165, गांव हमुखेड़ी, तहसील और जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, बिक्री योग्य_क्षेत्र, सुपर_बिल्ट_अप_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 420.00, 421.00, 470.00
श्री ओखम सिंह श्रीमती राधा बाई (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10461867)	24 अक्टूबर, 2025, रु. 307433/- (रु. तीन लाख सात हजार चार सौ तैंतीस मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और हिस्सा जो इस प्रकार है- पटवारी हल्का नंबर 97, खसरा नंबर 466, गांव खरपा, तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665, भारत क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 500.00, 460.00

यदि उक्त देनदार आईआईएफएफ एचएफएल को उक्त भुगतान नहीं करते हैं तो वह देनदारों के पूरी तरह से जोखिम, लागत व नतीजों पर उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) व लागू नियमों के तहत उक्त सिक्योर्ड एसेट के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं. विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी, **ब्रांच आफिस:** ग्राउंड फ्लोर, प्लाट नंबर 8/1-ए और 8/2-बी, अमर सिंह मार्ग फ्रीगंज उज्जैन-456001 या **कार्पोरेट ऑफिस:** आईआईएफएल टॉवर, प्लाट नं. 98, उद्योग विहार, फेस- IV गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान: उज्जैन
दिनांक: 13.11.2025

प्रा. अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लि.

कब्जा नोटिस (अचल संपति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री देवकरण यादव श्रीमती ममता यादव राज दूरसंचार (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10343709)	यूनिट संख्या Bg-11, भूतल, बलगढ़ EWS देवास, स्लम, EWS ब्लॉक, खसरा संख्या 272/2, 273, 274, 275/2, बलगढ़, रानीम बावड़िया, तहसील एवं जिला देवास, म.प्र., 455001 पर स्थित, प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल: 540.00, 376.00	रु. 172487/- एक लाख बहत्तर हजार चार सौ सत्तासी मात्र	25-07-2025	10/11/2025
श्री छत्तर सिंह राजपूत श्रीमती सीमा राजपूत (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10492825)	पटवारी हल्का संख्या 35, मकान संख्या 20, वार्ड संख्या 05, खसरा संख्या 420, ग्राम पांडी में स्थित, ग्राम पंचायत पांडी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, म.प्र., 455116, भारत का वह पूरा हिस्सा। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफलः 1040.00, 1000.00, 800.00	रु. 460313/- चार लाख साठ हजार तीन सौ तेरह मात्र	08-08-2025	10/11/2025
श्री ज्ञान सिंह श्रीमती रीना सेंधव (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10548077)	खसरा संख्या 741, मकान संख्या 84, वार्ड संख्या 6, जिरवे, गोरबा, तेजाजी महाराज मंदिर, देवास, म.प्र., भारत, 455116 का वह पूरा टुकड़ा। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकारः भूमिक्षेत्र, निर्मितक्षेत्र, अतिनिर्मितक्षेत्र, कार्पेट संपत्ति क्षेत्रः 1100.00, 1000.00, 200.00, 800.00	रू. 511922/- पाँच लाख ग्यारह हजार नौ सौ बाईस मात्र	25-07-2025	10/11/2025
श्री अनिल कुमार श्रीमती चंद्रकला बाई दूध डेयरी और आटा चक्की (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10597378)	पटवारी हल्का सं. 71, मकान सं. 15, वार्ड संख्या 03, खसरा संख्या 94, ग्राम बैजनाथ, ग्राम पंचायत बैजनाथ, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, म.प्र., 456441, भारत का वह पूरा हिस्सा। प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्र, निर्मितक्षेत्रफल, कालीनक्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफलः 1440.00, 1100.00, 880.00	रू. 412759 चार लाख बारह हजार सात सौ उनसठ मात्र	08-08-2025	10/11/2025
श्री मुकेश, सुश्री पूजा कपड़ों की दुकानें (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10684738)	पटवारी हल्का संख्या 34, मकान संख्या 08, वार्ड संख्या 5, खसरा संख्या 151/1, ग्राम धबलाबेनी, ग्राम पंचायत धबलिकम्मा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456443, भारत का वह पूरा हिस्सा। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्रफल, कालीनक्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 1200.00, 1000.00	रु. 326610/- तीन लाख छब्बीस हजार छह सौ दस मात्र	11-08-2025	10/11/2025

अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालयः G102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेसकोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश/ या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 13-11-2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

Publication — **FORM NO. IV**
(See Sub Rule 2(a) of Rule 5)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhavan (BSNL Building), Near Head Office Post Office, Residency Road, Jabalpur (M.P.)
(Areas for Jurisdiction - Madhya Pradesh & Chhattisgarh)

Summons under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules 2(A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
Original Application No. 855 of 2024

Applicant :- HDFC Bank Ltd.
VERSUS
Defendants:- M/s Shree Balaji Marketing & others

To,

1. **M/s Shree Balaji Marketing Through its Proprietor:- Mr. Rajesh Yadav**
   House No. 77, Scheme No. 155, Near Power House, Tigariya Road, Indore, Madhya Pradesh - 452006
   Also at:- Flat No. 101, First Floor of Sambhavnath Apartment at Plot No. 04, Silicon City, Village- Nihalpur Mundi, Indore, Madhya Pradesh-452012
2. **Mr. Rajesh Yadav S/o Shri Ramnath Yadav**
   House No. 77, Scheme No. 155, Near Power House, Tigariya Road, Indore, Madhya Pradesh-452006
   Also at:- Flat No. 101, First Floor of Sambhavnath Apartment at Plot No. 04, Silicon City, Village- Nihalpur Mundi, Indore, Madhya Pradesh-452012
3. **Mrs. Ranno Yadav w/o Shri Rajesh Yadav**
   House No.77, Scheme No.155, Near Power House, Tigariya Road, Indore, Madhya Pradesh - 452006
   Also at:- Flat No.101, First Floor of Sambhavnath Apartment at Plot No. 04, Silicon City, Village- Nihalpur Mundi, Indore, Madhya Pradesh - 452012

WHEREAS, **OA No. 855/2024** was listed before Hon'ble Presiding Officer on 31.07.2024.

Whereas, the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 21,75,635.88/-**

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under:

1. To show case within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the Original Application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and/or other assets and properties specified or disclosed under Serial number 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear on **21/01/2026 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Give under my hand and the seal of the Tribunal, this **10th of November, 2025.**

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

ऋषी नगर शाखा: 48, आजाद नगर, पुष्पा मिशन हॉस्पिटल के पास, उज्जैन (456010)

कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करके निम्न ऋणगृहिता/बंधककर्ता को निम्न वर्णित दिनांक को सूचना प्रेषित करते हुए इस सूचना प्राप्ति के 60 दिन के अंदर ऋणराशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिता द्वारा उपरोक्त समय अवधि में ऋण अदायगी मे त्रुटी की है अत: ऋणगृहिता/बंधककर्ता तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत निम्न वर्णित दिनांक को प्राप्त कर लिया है। ऋणगृहिता/बंधककर्ता को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करे तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **इंडियन बैंक** के ऋणगृहिता के समक्ष वर्णित राशि के चार्ज के अधीन होगा। ऋणगृहिता का ध्यान प्रतिभूति अस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के उपबंधों की ओर आकृषित किया जाता है।

ऋणी का नाम	चल सपंति और अचल संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस / कब्जा नोटिस की दिनांक	बकाया राशि (₹)
1. श्री माधव बैरागी पिता मथुरा दास बैरागी (ऋणी/बंधककर्ता) 2. श्री श्याम दास पिता रघुनाथ दास (जमानतदार) 3. श्री गोविन्द दास पिता रघुनाथ दास (जमानतदार)	मकान नं. 30, गली नं. 06, कांचपुरा, मक्सि रोड, उज्जैन (म.प्र.), **मालिक: श्री माधव बैरागी पिता मथुरादास बैरागी, क्षेत्रफल: 41.76 वर्गमीटर, चर्तु:सीमा: पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** गली, **उत्तर:** ताराबाई का मकान, **दक्षिण:** श्यामुबाई का मकान	21.07.25 11.11.25	**17,37,815/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे**

स्थान : उज्जैन, दिनांक : 13.11.2025 — **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक**

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank) | **पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.306-ए, पीयू 4, स्कीम नं.54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इंदौर-452010।**

ई-नीलामी नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पढ़ें।

जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) **"जहां है जैसा है"** और **"जो है जैसा है जैसा है"** के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया शेष राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य भारतीय रुपये में	बयाना राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रुपये में	ई-नीलामी की तिथि और समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	45589630000201	1) श्री ईश्वर लाल राठौड़, पुत्र मांगीलाल, चूंकि मृतक, उसके एलआर द्वारा दर्शाया गया है क) श्रीमती सविता बाई, पत्नी। स्वर्गीय ईश्वर लाल, बी) श्री चेतन राठौड़, पुत्र। दिवंगत ईश्वर लाल, सी) श्री अरुण राठौड़, पुत्र। दिवंगत ईश्वर लाल, 2) श्रीमती सविता बाई, पत्नी। ईश्वर लाल, 3) श्री चेतन राठौड़, पुत्र. ईश्वर लाल	24.05.2024	25.07.2025	रू. 6,49,225.40 (छह लाख उनचास हजार दो सौ पच्चीस और चालीस पैसे मात्र) 03.11.2025 तक	22.11.2025 सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	रू. 4,55,963.00 (चार लाख पचपन हजार नौ तिरेसठ मात्र)	रू. 45,596.30 (पैंतालीस हजार पाँच सौ छियानवे और तीस पैसे मात्र)	28.11.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	27.11.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मुख्य ए.बी. रोड, विजय नगर इंदौर-452010.

संपत्ति विवरण/अनुसूचीः भूखंड संख्या 276 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 1225 वर्ग फुट (113.84 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, सर्वेक्षण संख्या 413/1, ग्राम बेदावन्या, पुलिस चौकी संख्या 28, ग्राम पंचायत बेदावन्या, तहसील खाचरोद एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सड़क, पश्चिम में सरदार खा का भूखंड, उत्तर में मुकेश मांगीलाल का मकान और दक्षिण में प्रकाश रामलाल का मकान।

संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है जैसी है" के आधार पर रखी जा रही हैं और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी। उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के पक्ष में किए जाएँगे। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क कर सकते हैं; श्री विकास केटेले से संपर्क करें, संपर्क संख्याः 8712637550। ईमेल आईडीः info@bankauctions.in /vikas@bankauctions.in। ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार और संपत्ति के स्वामित्व के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह उपरोक्त उधारकताओं/गारंटर/बंधककताओं को बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में भी एक सूचना है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक खर्चों सहित, का भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 13.11.2025, स्थानः इन्दौर — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड